



CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांक : छगस्वावितवि/प्रशा./2023/6775/A

भिलाई, दिनांक-08/12/2023

आदेश

एतद् द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) विनियम 2023 की अधिसूचना के निर्देशानुसार छात्रों की शिकायतों के निवारण हेतु विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि "लोकपाल" के रूप में डॉ आर. पी. पाठक, पूर्व प्राध्यापक, NIT, Raipur को 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव(प्र.)

छगस्वावितवि, भिलाई

प्रतिलिपि :

1. निज सहायक माननीय कुलपति, छगस्वावितवि भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. निज सहायक माननीय समकुलपति, छगस्वावितवि भिलाई को सादर सूचनार्थ।
3. सम्बन्धित को सादर सूचनार्थ।
4. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय सादर सूचनार्थ।
5. निदेशक, (UTD, CSVTU, Bhilai), उप कुलसचिव(प्रशासनिक), उप कुलसचिव(सूचना विभाग), परीक्षा प्रभारी, प्रोफेसर इंचार्ज (अकादमिक), मुख्य वित्त अधिकारी एवं समस्त विभागाध्यक्षों को सादर सूचनार्थ।
6. मास्टर फाइल।